29/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मैसर्स ऑर्नेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय मछिंदर और उनके परिवार के सदस्यों की परिसंपत्ति कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई परिसंपत्तियां अचल संपत्तियों के रूप में हैं, जिसमें मुंबई में स्थित 7.04 करोड़ रुपए कीमत के विभिन्न फ्लैट शामिल हैं, जो विजय मछिंदर और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं।

ईडी ने विजय मछिंदर के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि विजय मछिंदर ने वर्ष 2012 से 2019 के दौरान ओशिवारा परियोजना में फ्लैट बुकिंग राशि स्वीकार करने के कारण एकत्र की गई निधियाँ दुर्विनियोजित की हैं और ऐसा करके अनुचित तरीके से विश्वास भंग करते हुए विभिन्न खरीदारों से 74 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स ऑर्नेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने एमएचएडीए द्वारा यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को मूल रूप से आवंटित एक प्लाट के विकास के लिए वर्ष 2010 में विकास करार निष्पादित किया था। इसके बाद, विजय मछिंदर ने 2012 से ओशिवारा परियोजना के बिक्री योग्य क्षेत्र के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋणों के साथ-साथ फ्लैट बुकिंग अग्रिम लेना शुरू किया। इसके बाद, कई फ्लैट खरीदारों ने ओशिवारा प्रोजेक्ट में फ्लैट बुकिंग के लिए अग्रिम भुगतान किए थे और उनसे लगभग 93.44 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई है। इसके अलावा, विजय मछिंदर ने 710 करोड़ रुपए के कई ऋण भी प्राप्त किए, जिनमें से लगभग 470 करोड़ रुपए की मूलधन राशि शेष बकाया है। हालाँकि, खुदाई कार्य को छोड़कर ओशिवारा परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

ईडी ने ओशिवारा प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों को धोखा देने और छलने में उनकी भूमिका के लिए 03/01/2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत विजय मछिंदर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और वह अभी भी माननीय पीएमएलए कोर्ट, मुंबई की न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।